RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1298/2026

Smt. Shailja Dubey W/o Lalit Dubey,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kamal Kant Vyas
For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

30/04/2026

अयाची संख्या–1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।

अयाची संख्या–2 को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण/अभियुक्तगण का निवेदन है कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी लंबित है, अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग देते हुए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से प्रत्यर्थी/परिवादी क्रम 2 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने अपना भूखंड परिवादी को विक्रय करना तय कर अनावश्यक प्रतिफल राशि प्राप्त की तथा दो विक्रय अनुबंध अलग–अलग समय पर निष्पादित किये, लेकिन बाद में विक्रय पत्र बदनियति पूर्वक पंजीकृत नहीं करवाया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण श्रीमती शैलजा व ललित कुमार दूबे को आदेशित किया जाता है कि आज से 10 दिन में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग

RAJASTHAN HIGH COURT

करने की शर्त के साथ पुलिस थाना शिवदासपुरा जयपुर शहर दक्षिण की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 750/2023 में आगामी आदेश तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

SHUBHAM/24